फाइल सं0 6/8/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 05 अप्रैल, 2011

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 28-03-2011 को अपराह्न** 2.30 **बजे** आयोजित 12**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा./सी.सैल)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 12वीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक 28-03-2011 को अपराह्न 2.30 बजे** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–।** पर है ।

आयोग ने निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: दिनांक 28–02–2011 को आयोजित आयोग की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

आयोग द्वारा 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को नोट और अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: दिनांक 14–03–2011 को आयोजित आयोग की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

आयोग ने दिनांक 14-03-2011 को हुई 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: दिनांक 14–03–2011 को आयोजित आयोग की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।

आयोग ने की गई कार्रवाई को नोट और अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 4: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के छात्रों को अध्ययन और अनुसंधान इत्यादि के लिए रेल भाड़े में रियायत – श्री राधा कान्ता त्रिपाठी, एडवोकेट, 27, ओल्ड लॉयर्स चेम्बर्स, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली का अभ्यावेदन ।

आयोग ने अनुसंधान/अध्ययन के लिए यात्रा करने हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को रेल भाड़े में रियायत देने के प्रस्ताव पर सहमति दी । आयोग ने सिफारिश की कि रेल मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु एक पत्र भेजा जाना चाहिए ।

(कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू)

कार्यसूची की मद संख्या 5: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण ।

आयोग ने कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव में प्रगति को नोट किया ।

आधुनिकीकरण का जहां तक संबंध है, माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान कार्यालय परिसर का नवीनीकरण कराया जाए और बड़ा सम्मेलन कक्ष, दो कमरे, आवेदकों/आगन्तुकों हेतु प्रतीक्षा कक्ष तथा एक उपयुक्त पुस्तकालय के लिए अतिरिक्त जगह भी ली जाए ।

(**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 28-03-2011 को अपराह्न 2.30 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित 12वीं बैठक ।

<u>उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी</u>

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

<u>अधिकारी</u>

1. डा. वी.के. राठी, निदेशक
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव